भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 691

दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाएं बनाने के लिए कच्चा माल

691. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन पर दवाओं के संबंध में हमारी निर्भरता बढ़ रही है, यदि हां, तो विगत छह महीनों के दौरान दवाइयों के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के दौरान चीन से दवाइयों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कमी आई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीन ने दवाइयों के उत्पादन में उपयोग होने वाले कच्चे माल हेतु ज्यादा मूल्य प्रभार लिया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा औषधि के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क): दवा के निर्माण के लिए कई एपीआई चीन से आयात किए जाते हैं। सीडीएससीओ के विभिन्न बन्दरगाह कार्यालयों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों के दौरान ऐसे एपीआई के आयात का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	महीना	मैट्रिक टन्स में मात्रा	मूल्य करोड़ में
1	मार्च,2020	4448.9	795.02669
2	अप्रैल, 2020	5341.7	897.57950
3	मई, 2020	3961.4	949.42975

4	जून, 2020	3634.1	973.63478
5	जुलाई, 2020	4812.1	1094.8240
6	अगस्त,2020	4023.5	804.81575

स्रोत: डीसीजीआई, सीडीएससीओ

(ख): चीन से कच्चे माल की आपूर्ति कम समय के लिए प्रभावित हुई। हालांकि, प्रमुख भारतीय दवा कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार थे जिनकी निगरानी विभाग द्वारा की गई थी। चीन में लॉकडाउन की अवधि के बाद फैक्ट्रियों के खुलते ही आपूर्ति बहाल हो गई।

(ग): औषधि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के अधिप्रभारन के बारे में कोई शिकायत / संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): आत्मनिर्भरता हासिल करने और एपीआई / बल्क औषधियों के आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, औषध विभाग ने दो योजनाओं की शुरुआत की है (i) " भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारम्भिक सामग्रियों (केएसएम) / ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई) और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना" और (ii) "बल्क औषधि पार्कों का संवर्धन"। दोनों योजनाओं के दिशानिर्देश 27 जुलाई, 2020 को जारी किए गए थे।

******